रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-461/2025/690/22-2-2023-17(196)2018

लखनऊ: दिनांक: 09 मई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुल्तान (बन्दी संख्या-16659) पुत्र श्री तेज सिंह, निवासी-ठींकुरा, थाना-फतेहाबाद, जनपद-आगरा का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-636/1980 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-09, आगरा के आदेश दिनांक 15.12.1982 द्वारा आजीवन कारावास के सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.03.2016 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.10.2016 द्वारा सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 11.06.2022 तक 06 वर्ष 04 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 03 माह, 14 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं बन्दी की 81 वर्ष से अधिक आयु बन्दी की वृद्धावस्था, संतोषजनक जेल आचरण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, आगरा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-461/2025/690(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in